

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110016



क्रमांक: एफ.12(12)/ला.ब.शा.रा.सं.वि/चयन/2022/1208

दिनांक: 05.12.2022
06

विषय- विश्वविद्यालय प्राध्यापक भर्ती हेतु संस्कृत में पीएच.डी. की अनिवार्यता के नियम को रद्द करने तथा परम्परागत विषयों के आचार्यों को आधुनिक परम्परा के विश्वविद्यालय में भर्ती तथा शिक्षण हेतु बाधाओं का संज्ञान कराने के बाबत।

उपरोक्त विषय पर प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27.10.2022 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक दिनांक 24.08.2022 में लिए गए निर्णय के अंतर्गत "शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के सभी बिंदुओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए यह अनुशंसा की गई कि पूर्व में निर्धारित अर्हता (Ph.D. Thesis must be in Sanskrit language) को अनिवार्य तथा वांछित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तथा विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही अर्हता निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।"

सहायक कुलसचिव (प्रशासन-11)

विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त नोटिस बोर्ड

श्री ला.ब.शा.रा.संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

Chayan
(A.S.)

Bhup
06/12/2022

For n.a. pls

Shr. Rohit

07/12/2022